

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7617/2019

बृजेश कुमार सिंह पुत्र राम प्रवेश सिंह, आयु 51 वर्ष, पुत्र राम प्रवेश सिंह, निवासी एफ-1, पुलिस लाइन जयपुर, आमेर रोड, जल महल के सामने, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव के माध्यम से, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर
- 2. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिंग और कानूनी आयुक्तालय जयपुर।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री महेन्द्र शर्मा
प्रतिवादी के लिए	:	सुश्री सुमन शेखावत-उप-सरकारी वकील

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार ढंड

आदेश

आरक्षित दिनांक	05/11/2024
घोषित दिनांक	13/11/2024
रिपोर्ट करने योग्य	

- 1. वर्तमान याचिका दिनांक 06.12.2016 और 27.02.2017 के आदेशों की वैधता को चुनौती देती है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के पिस्तौल लाइसेंस प्रदान करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। इन आदेशों के विरुद्ध उसने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की थी, हालांकि, उसे भी दिनांक 03.03.2019 के चुनौतीप्राप्त आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

2. इन आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के विरुद्ध अतिरिक्त आग्नेयास्त्र लाइसेंस प्रदान करने के निर्देश की मांग करते हुए यह रिट याचिका दायर कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता पुलिस विभाग में सेवारत है और उसके पास एक 12 बोर बंदूक है जो उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सुरक्षा के उद्देश्य से एक पिस्तौल की भी आवश्यकता है और उसने उक्त आग्नेयास्त्र का उपयोग करने के लिए पुलिस विभाग से पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो अलग-अलग हथियार रख सकता है और आयुध अधिनियम, 1959 के तहत एक साथ दो हथियार रखने पर कोई रोक नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा भीमा राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4652/2016) के मामले में दिनांक 21.08.2018 को पारित आदेश पर भरोसा किया है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इन परिस्थितियों में, प्रतिवादियों को दूसरा हथियार रखने के लिए अतिरिक्त लाइसेंस प्रदान करने हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएं।
4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के पास पहले से ही लाइसेंसी 12 बोर बंदूक है और उसने दूसरे हथियार की आवश्यकता के बारे में अधिकारियों को संतुष्ट नहीं किया है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता के जीवन को खतरे के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया गया है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अधिकारियों द्वारा पारित चुनौतीप्राप्त आदेश न्यायसंगत और उचित हैं, जिनमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।
5. बार में दिए गए निवेदनों को सुना और उन पर विचार किया गया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने अधिकारियों के समक्ष रिवॉल्वर/बंदूक के दूसरे लाइसेंस के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करके आवेदन किया था कि उसके पास लाइसेंस संख्या JNBHP/New/2014/ BL/320 वाली 12 बोर बंदूक है जो उसे अपने पिता से उपहार में मिली थी। चूंकि यह बंदूक आकार में बड़ी है, इसलिए याचिकाकर्ता को 12 बोर बंदूक ले जाने में कठिनाई हो रही है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिंग और कानूनी, जयपुर द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि याचिकाकर्ता के पास पहले से ही बंदूक का लाइसेंस है, इसलिए याचिकाकर्ता के पास दूसरा आग्नेयास्त्र ले जाने के लिए दूसरा लाइसेंस प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त कारण देते हुए, दूसरा हथियार लाइसेंस प्राप्त करने का आवेदन दिनांक 06.12.2016 और 27.02.2017 के आदेशों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

7. दिनांक 06.12.2016 के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने आयुध अधिनियम, 1959 (संक्षेप में, '1959 का अधिनियम') की धारा 18 के तहत एक अपील प्रस्तुत की और उसे अपीलीय प्राधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा दिनांक 03.03.2019 के आदेश द्वारा इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता के पास पहले से ही 12 बोर बंदूक का लाइसेंस है, तो उसे दूसरा आग्नेयास्त्र ले जाने के लिए एक और लाइसेंस प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

8. सभी चुनौतीप्राप्त आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

9. आयुध और गोला-बारूद से संबंधित कानून 1959 के अधिनियम द्वारा शासित है। 1959 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण देखने से पता चलता है कि विधेयक को विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद में पेश किया गया था, जैसे;

"इस विधेयक के उद्देश्य हैं-

(क) "आयुध" की परिभाषा से चाकू, भाले, धनुष और तीर तथा

इसी तरह की वस्तुओं को बाहर करना;

(ख) आग्नेयास्त्रों और अन्य निषिद्ध हथियारों को वर्गीकृत करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि-

(i) सैन्य पैटर्न के खतरनाक हथियार नागरिकों, विशेषकर असामाजिक तत्वों को उपलब्ध न हों;

(ii) आत्मरक्षा के लिए हथियार सभी नागरिकों को लाइसेंस के तहत उपलब्ध हों, जब तक कि उनके पूर्ववृत्त या प्रवृत्तियाँ उन्हें इस विशेषाधिकार के लिए हकदार न बनाती हों; और

(iii) प्रशिक्षण के उद्देश्य और सामान्य नागरिक उपयोग के लिए आवश्यक आग्नेयास्त्र परमिट पर आसानी से उपलब्ध हों;

(ग) कानून और व्यवस्था बनाए रखने और देश में पांचवें स्तंभ की गतिविधियों से बचने की आवश्यकता के साथ नागरिक के अधिकार का समन्वय करना;

(घ) राष्ट्रीय आपात स्थितियों में प्रत्येक नागरिक की सेवाओं की मांग करने के राज्य के अधिकार को मान्यता देना। आग्नेयास्त्रों के लिए लाइसेंसधारी और परमिट धारक, शिकारी, निशानेबाज और सामान्य रूप से राइफलधारी (उपयुक्त आयु वर्ग में) आपात स्थितियों में देश के लिए बहुत उपयोगी होंगे, यदि सरकार उन्हें ठीक से जुटा और उपयोग कर सके।

10. उद्देश्य संख्या (ख)(ii) इंगित करता है कि विधायिका का आशय यह सुनिश्चित करना था कि आत्मरक्षा के लिए हथियार सभी लाइसेंसधारी नागरिकों को उपलब्ध हों, जब तक कि उनके पूर्ववृत्त या प्रवृत्तियाँ उन्हें इस विशेषाधिकार के लिए हकदार न बनाती हों।

11. 1959 के अधिनियम की धारा 2(ग) "आयुध" शब्द को परिभाषित करती है। यह इस प्रकार है:-

"(ग) "आयुध" का अर्थ किसी भी विवरण की वस्तुएं हैं जो अपराध या रक्षा के लिए हथियारों के रूप में डिज़ाइन या

अनुकूलित की गई हैं, और इसमें आग्नेयास्त्र, तेज धार वाले और अन्य घातक हथियार, और आयुध के पुर्जे, और निर्माण के लिए मशीनरी शामिल है, लेकिन इसमें ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं हैं जो विशेष रूप से घरेलू या कृषि उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई हैं जैसे लाठी या एक साधारण छड़ी और ऐसे हथियार जो खिलौनों के अलावा किसी अन्य रूप में उपयोग करने में असमर्थ हैं या जिन्हें सेवा योग्य हथियारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है;

धारा 2(ड) "आग्नेयास्त्र" शब्द को परिभाषित करती है। यह इस प्रकार है:-

(ड) "आग्नेयास्त्र" का अर्थ किसी भी विवरण के आयुध हैं जो किसी भी प्रकार के विस्फोटक या ऊर्जा के अन्य रूपों की क्रिया द्वारा एक प्रक्षेप्य या प्रक्षेप्यों को डिस्चार्ज करने के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित किए गए हैं, और इसमें शामिल हैं—

(i) तोपखाने, हथगोले, दंगा-पिस्तौल या किसी भी प्रकार के हथियार जो किसी हानिकारक तरल, गैस या ऐसी अन्य चीज के निर्वहन के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित किए गए हैं,

(ii) ऐसे किसी भी आग्नेयास्त्र के लिए सहायक उपकरण जो फायरिंग के कारण होने वाले शोर या चमक को कम करने के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित किए गए हैं,

(iii) आग्नेयास्त्रों के पुर्जे, और निर्माण के लिए मशीनरी, और

(iv) तोपखाने को माउंट करने, परिवहन करने और सेवा देने के लिए गाड़ियां, प्लेटफॉर्म और उपकरण;

धारा 2(ज) "निषिद्ध गोला-बारूद" शब्द को परिभाषित करती है। यह इस प्रकार है:-

(ज) "निषिद्ध गोला-बारूद" का अर्थ कोई भी गोला-बारूद है जिसमें कोई हानिकारक तरल, गैस या ऐसी अन्य चीज शामिल

है, या जिसे शामिल करने के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित किया गया है, और इसमें रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोले, [मिसाइलें,] टारपीडो सेवा और पनडुब्बी खनन के लिए डिज़ाइन की गई वस्तुएं और ऐसी अन्य वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निषिद्ध गोला-बारूद के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है;

धारा 2(झ) "निषिद्ध आयुध" शब्द को परिभाषित करती है। यह इस प्रकार है:-

(झ) "निषिद्ध आयुध" का अर्थ है—

- (i) ऐसे आग्नेयास्त्र जो इस प्रकार डिज़ाइन या अनुकूलित किए गए हैं कि, यदि ट्रिगर पर दबाव डाला जाता है, तो मिसाइलें तब तक डिस्चार्ज होती रहती हैं जब तक ट्रिगर से दबाव हटा नहीं लिया जाता या मिसाइलों वाली मैगज़ीन खाली नहीं हो जाती, या
- (ii) किसी भी विवरण के हथियार जो किसी हानिकारक तरल, गैस या ऐसी अन्य चीज के निर्वहन के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित किए गए हैं, और इसमें तोपखाने, विमान-रोधी और टैंक-रोधी आग्नेयास्त्र और ऐसे अन्य आयुध शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निषिद्ध आयुध के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है;

12. 1959 के अधिनियम का अध्याय-II आयुध और गोला-बारूद के अधिग्रहण, कब्जे, निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात और परिवहन से संबंधित है। 1959 के अधिनियम की धारा 3 यह निर्धारित करती है कि "कोई भी व्यक्ति किसी आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद का अधिग्रहण, अपने कब्जे में नहीं रखेगा, या नहीं ले जाएगा जब तक कि उसके पास 1959 के अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया लाइसेंस न हो"। निर्दिष्ट विवरण के आयुध के अधिग्रहण, कब्जे, निर्माण और बिक्री आदि के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अध्याय-II की योजना से पता चलता है कि आग्नेयास्त्रों के अधिग्रहण और कब्जे से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था को संसद

के अधिनियम द्वारा विनियमित करने का प्रयास किया गया है। यह योजना आगे बताती है कि संसद का आशय किसी भी आग्नेयास्त्र की आवाजाही पर पूर्ण नियंत्रण रखना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी असामाजिक या राष्ट्र-विरोधी तत्व ऐसे हथियारों का उपयोग न कर सके और, साथ ही कानून का पालन करने वाले नागरिक, लाइसेंस के तहत, कुछ प्रतिबंधों के अधीन अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे हथियारों का उपयोग कर सकें।

13. 1959 के अधिनियम का अध्याय-III लाइसेंस से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। धारा 13 में अध्याय-II के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आवेदन करने की आवश्यकता है। धारा 13 का उप-धारा 2 ए यह निर्धारित करती है कि निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, अध्याय III के अन्य प्रावधानों के अधीन, लिखित आदेश द्वारा या तो लाइसेंस प्रदान करेगा या उसे प्रदान करने से इनकार करेगा।

14. धारा 14 लाइसेंसों की अस्वीकृति से संबंधित है। यह इस प्रकार है:-

14. लाइसेंसों की अस्वीकृति—(1) धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, लाइसेंसिंग प्राधिकारी निम्नलिखित को प्रदान करने से इनकार करेगा—

(क) धारा 3, धारा 4 या धारा 5 के तहत एक लाइसेंस जहां ऐसे लाइसेंस की आवश्यकता किसी निषिद्ध आयुध या निषिद्ध गोला-बारूद के संबंध में है;

(ख) अध्याय II के तहत किसी अन्य मामले में एक लाइसेंस,—

(i) जहां ऐसे लाइसेंस की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति द्वारा है जिसके बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि—

(1) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा किसी आयुध या गोला-बारूद का अधिग्रहण करने, अपने कब्जे में रखने या ले जाने से निषिद्ध है, या

(2) विकृत चित्त का है, या

(3) इस अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए किसी भी कारण से अयोग्य है; या

(ii) जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा की सुरक्षा के लिए ऐसे लाइसेंस को प्रदान करने से इनकार करना आवश्यक समझता है।

(2) लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर लाइसेंस प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा कि ऐसे व्यक्ति के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है।

(3) जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करने से इनकार करता है, वह ऐसे इनकार के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा और उस व्यक्ति को मांग पर उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगा, जब तक कि किसी भी मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी की राय में ऐसे विवरण को प्रस्तुत करना सार्वजनिक हित में न हो।

धारा 14(1)(ख)(ii) का अवलोकन यह दर्शाता है कि अध्याय-II के तहत निषिद्ध आयुध या निषिद्ध गोला-बारूद के मामलों के अलावा किसी भी मामले में लाइसेंस, जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी, यदि वह सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता है, तो ऐसे लाइसेंस को प्रदान करने से इनकार कर सकता है। धारा 13 और 14 का सावधानीपूर्वक अध्ययन यह दर्शाता है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास धारा 13 के तहत लाइसेंस प्रदान करने या जांच के आधार पर इनकार करने का विवेकाधिकार है जैसा कि वह आवश्यक समझे और धारा 13 की उप-धारा 2 के तहत प्राप्त रिपोर्ट पर। हालांकि, धारा 14 में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास ऐसे आवेदन को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है यदि वह उसमें उल्लिखित श्रेणियों में आता है। उक्त व्याख्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की जा रही है कि धारा 13 की उप-धारा 2 ए केवल लाइसेंसिंग

प्राधिकारी को लिखित में एक आदेश पारित करने की आवश्यकता है या तो उसे प्रदान करने या उसे अस्वीकार करने के लिए। हालांकि, धारा 14 "अधिव्यापी खंड" से शुरू होती है, जो "शैल" शब्द का उपयोग करके धारा 13 के अधिदेश को अधिव्यापी प्रभाव देती है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि यदि आवेदक धारा 14 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में आता है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास धारा 13 के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने का कोई विकल्प नहीं बचता है।

15. याचिकाकर्ता के पास पहले से ही बंदूक का लाइसेंस है, लेकिन उसने कोई उचित कारण नहीं बताया है कि उसे रिवॉल्वर/पिस्तौल जैसे दूसरे हथियार को ले जाने के लिए दूसरे लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है। यह दूसरे हथियार के लिए लाइसेंस का दावा करने का आधार नहीं हो सकता है कि पहला हथियार यानी 12 बोर बंदूक आकार में बड़ी है और रिवॉल्वर/पिस्तौल आकार में छोटी है।

16. भारत में हथियार रखने का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) जैसे अन्य देशों की तुलना में पूरी तरह से अलग है। यूएसए में, हथियार रखने का अधिकार लोगों के आत्मरक्षा के अधिकार को संदर्भित करता है और इसे अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन के तहत संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। यह संशोधन यूएसए के नागरिकों को किसी भी अत्याचारी खतरे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिससे हथियार/बंदूक रखने के लिए आत्मरक्षा को प्राथमिक औचित्य के रूप में नियोजित किया जाता है। हालांकि, यह कानून संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पूर्ण नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जांच और उचित प्रतिबंधों के अधीन भी है। लेकिन किसी देश में आग्नेयास्त्रों को ले जाना और रखना केवल एक सांविधिक विशेषाधिकार का मामला है और किसी भी नागरिक को आग्नेयास्त्र ले जाने का व्यापक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है।

17. भारत में आग्नेयास्त्र रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 12831/2022) के मामले में, जिसका निर्णय 13.02.2023 को किया गया था, निम्नलिखित कहा है:-

"यह फिर से उन मामलों में से एक है जहां हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से संबंधित अपराध के किया जाना में एक गैर-लाइसेंसी आग्नेयास्त्र का उपयोग किया गया था। हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां गंभीर अपराधों के किया जाना में गैर-लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों के उपयोग की यह घटना बहुत परेशान करने वाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विपरीत जहां हथियार रखने का अधिकार एक मौलिक स्वतंत्रता है, हमारे संविधान निर्माताओं के विवेक में, भारत के संविधान के तहत किसी को भी ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। आग्नेयास्त्रों के विनियमन से संबंधित मामला कानून द्वारा शासित होता है, अर्थात्, आयुध अधिनियम, 1959, अन्य बातों के अलावा। सभी के जीवन को संरक्षित करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गैर-लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों का सहारा न लिया जाए। विशेष रूप से, यदि गैर-लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता है, तो यह कानून के शासन का अंत होगा।"

18. आयुध लाइसेंस कानून द्वारा निर्मित है और लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ऐसे लाइसेंस प्रदान करने या न करने का विवेकाधिकार प्राप्त है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और स्थिति पर निर्भर करेगा।

19. किसी के पास हथियार रखने का मौलिक अधिकार नहीं है और आजकल इसका कब्जा आत्मरक्षा के बजाय "प्रतिष्ठा का प्रतीक" के रूप में "दिखावा" करने के लिए अधिक है, यह दर्शाता है कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। आयुध अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आत्मरक्षा के लिए नागरिक को हथियार उपलब्ध हो,

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। हम ऐसे कानूनविहीन समाज में नहीं रह रहे हैं जहां व्यक्तियों को अपनी रक्षा के लिए हथियार प्राप्त करने या रखने पड़ते हैं। हथियार रखने का लाइसेंस वहां प्रदान किया जाना चाहिए जहां आवश्यकता हो और केवल किसी व्यक्ति की मनमर्जी और सनक पर नहीं।

20. यहां वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता लाइसेंसिंग प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को यह संतुष्ट करने में विफल रहा है कि उसे रिवॉल्वर/पिस्तौल ले जाने के लिए दूसरे हथियार लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है, विशेष रूप से जब उसके पास पहले से ही बंदूक का लाइसेंस है। याचिकाकर्ता यह विशेष मामला बनाने में विफल रहा है कि उसके जीवन को गंभीर खतरा है और इसके लिए उसे दो अलग-अलग आग्नेयास्त्रों को ले जाने के लिए दो अलग-अलग लाइसेंस की आवश्यकता है।

21. याचिकाकर्ता द्वारा भीमा राम (सुप्रा) के मामले में जिस आदेश पर भरोसा किया गया है, वह वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त भीमा राम (सुप्रा) द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, उसे दूसरे हथियार और उसके लाइसेंस की आवश्यकता थी। लेकिन इस मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा कोई उचित कारण नहीं बताया गया है कि उसे पिस्तौल/रिवॉल्वर ले जाने के लिए दूसरे लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है, विशेष रूप से जब उसके पास 12 बोर बंदूक ले जाने के लिए पहले से ही हथियार का लाइसेंस है।

22. मामले के तथ्यों में, चुनौतीप्राप्त आदेशों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि इस याचिका में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिवॉल्वर/पिस्तौल के लिए दूसरा लाइसेंस प्रदान करने से इनकार प्रतिवादियों द्वारा सुविचारित है।

23. ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

24. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी खारिज किए जाते हैं।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

आशु/177

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

MITALI KARWA, ADVOCATE

Office At-

O.N. 417, 4th Floor, Sunny Paradise, Tonk Road

Jaipur- 302018

M:- (+91)9001197999

R/5754/2022

Mitali